कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांकः– 4551 **दिनांकः–** 17/11/23

संशोधित कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के पत्र कमांक स्था. /2023/36657 दिनांक 16.11.2023 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश कमांक 4309 दिनांक 30.10.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए इस कार्यालय के पूर्व संशोधित कार्यालय आदेश कमांक 1282 दिनांक 06.04.2022 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना को माढण थाना क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त व शाहजहॉपुर थाना (मुण्डावर तहसील के गॉव को छोडकर) के आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों व न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का भी क्षेत्राधिकार आवंटित किया गया था जिसे आदेशानुसार ही पूर्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकार द0प्र0सं0 की धारा 14 (1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अजीत कुड़ी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना को माढण थाना क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त व शाहजहॉपुर थाना (मुण्डावर तहसील के गॉव को छोडकर) के आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना का क्षेत्राधिकार आवंटित करता हूँ।

इस कार्यालय के शेष आदेश कमांक 1241 दिनांक 09.04.2021,कमांक 2460 दिनांक 10.08.2021 यथावत रहेगें।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

कमांक :– 4552-60 दिनांक :– 17/11/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. संबंधित न्यायालय.........................
3. जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी
4. संबंधित पुलिस थाना.......................
5. संबंधित बार एसोसियेशन ....
6. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-–मेल करें)
7. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांक- 1282 दिनांक–06.04.2022

संशोधित कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक 1241 दिनांक 09.04.2021 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराणा को थाना नीमराणा में उदभूत होने वाले फौजदारी प्रकरण (ग्राम न्यायालय नीमराणा द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण छोडकर एवं बहरोड तहसील के गांव छोडकर) एवं थाना नीमराणा क्षेत्र के आबकारी प्रकरण (बहरोड तहसील के गांव को छोडकर) एन आई एक्ट (नीमराणा तहसील से संबंधित) का क्षेत्राधिकार आवंटित किया गया था।

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के पत्रांक/स्था0/2022/12406 दिनांक 05.04.2022 में क्षेत्राधिकार निर्धारण के संबंध में कमेटी द्वारा प्रेषित सुझावो का अनुमोदन किया गया व उक्त अनुमोदन की पालना में न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराणा को दिनांक 09.4.2021 को आंवटित क्षेत्राधिकार को यथावत रखते हुए एवं उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराणा को उक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त थाना माढण व थाना शाहजहांपुर (मुंडावर तहसील के गांव को छोडकर) के आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों व न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

पूर्व आदेश में उक्त क्षेत्राधिकार ACJM NO-1 बहरोड व J.M. बहरोड को दिए गऐ थे उसे अब समाप्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगें।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अलवर

क्रमांक:- 1283-94 दिनांक:- 06/04/20..

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर

02– श्रीमान् जिला कलक्टर, अलवर

03– श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/सबंधित थाना...

04– कार्यालय प्रति/सबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन ....

05– कम्प्यूटर शाखा, अलवर

(उक्त आदेश को साईट पर अपलोडकर समस्त को ई मेल करें)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर